दिनांक 31 जनवरी, 2019 को निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना की अध्यक्षता में आहूत क्षेत्रीय पदाधिकारियों के राज्य–स्तरीय समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही:–

---

1. उपस्थितिः–संलग्न।

समीक्षात्मक बैठक में उपस्थित सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सांख्यिकी)/जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को नव वर्ष 2019 की बधाई देते हुए बैठक प्रारंभ की गयी। अनुपस्थिति की स्थिति में पूर्व सूचना अचूक रूप से निदेशालय को उपलब्ध करायी जाय।

अनुपालनः– सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सांख्यिकी)/सभी जिला सां० पदा०/निदेशालय

2. पिछले समीक्षात्मक बैठक के कार्यवाही का अनुपालन एवं सांख्यिकी से संबंधित प्रतिवेदन निदेशालय को लभ्य कराने वाले प्रमंडलों/जिलों के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया गया। अनुपालन नहीं करने वालें जिलों को अनुपालन प्रतिवेदन निर्धारित तिथि प्रत्येक माह के 8वीं तारीख तक उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

3. प्रत्येक सप्ताह के बुधवार एवं गुरूवार को सांख्यिकी से संबंधित सभी कार्यो का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने लिए सभी को निदेश दिये गये।

अनुपालनः– निदेशालय एवं सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सांख्यिकी)/सभी जिला सां०पदा०

4. सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि राज्य स्तरीय बैठक की समीक्षा में अपने–अपने जिला की प्रगति से जिला पदाधिकारी को भी अवगत करायी जाय। संबंधित लंबित प्रतिवेदन एवं निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु समय–समय पर आहूत जिला स्तरीय बैठक में भाग लेने हेतु निदेशित किया गया। साथ ही सभी लंबित प्रतिवेदनों को ससमय करना सुनिश्चित किया जाय।

अनुपालनः– सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

5. अगामी छः माह में सेवानिवृत हो रहे पदाधिकारी/कर्मियों की समीक्षा कर सेवान्त लाभ के ससमय भुगतान सुनिश्चित करने हेतु सभी नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित की जाय ताकि सेवान्त लाभ का ससमय भुगतान हो सके।

अनुपालनः–निदेशालय एवं सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सांख्यिकी)/सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी/स्थापना प्रशाखा 1 एवं 2

6. संबंधित स्थापना से सेवानिवृत वैसे कर्मी जिन्हें ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी. का लाभ नहीं मिला है उन सभी का विशेष गोपनीय चारित्री यथाशीघ्र उपलब्ध करायी जाय।

अनुपालनः–निदेशालय एवं सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सांख्यिकी)/सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

7. बजट :–

(i)(क) वित्तीय वर्ष 2018–19 के माह–जनवरी 2019 का व्यय विवरणी सभी कार्यालयों से प्राप्त है। इसके लिए सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

अनुपालन–सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक (सांख्यिकी)/सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

(ख) निदेश दिया गया कि प्रत्येक माह के वेतन आदि का भुगतान प्रत्येक माह के अंतिम तिथि तक नियमित रूप से किया जाना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त कार्यालय में पदस्थापित सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी/पर्यवेक्षक से प्रत्येक माह अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम एवं नियमित रूप से भ्रमण दैनन्दिनी प्राप्त कर नियमानुसार देय यात्रा भत्ता का नियमित भुगतान सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालन– सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक (सांख्यिकी)/सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

07.02.19

(ग)(i) गत बैठकों में दिये गये निदेश के बावजूद अद्यतन संधारित कार्यालय रोकड़ पंजी के अंतिम पृष्ठ की सत्यापित छाया प्रति एवं बैंक पासबुक के अंतिम पृष्ठ की सत्यापित छाया प्रति जिला पटना, नालंदा, किशनगंज एवं औरंगाबाद से अप्राप्त किया गया। निदेश दिया गया कि प्रत्येक माह उक्त प्रतिवेदन 8वीं तारीख तक निश्चित रूप से निदेशालय के लेखा शाखा को लभ्य कराना सुनिश्चित किया जाय। अवशेष राशि का मदवार विवरणी भी माह के अंतिम में अंकित की जाय।

(ii) प्राप्त प्रतिवेदन के समीक्षा के आधार पर निम्न जिलों के रोकड़पंजी एवं बैंक खातें में उपलब्ध राशि में अन्तर पाये जाने पर क्षोभ प्रकट किया गया। अन्तर राशि की जॉच कर Reconciliation विवरणी में इसका स्पष्ट उल्लेख करना सुनिश्चित करें। चूकि यह वित्तीय मामला है।

क्र.सं.	जिला का नाम	अन्तर राशि (रूपये में)	क्र.सं.	जिला का नाम	अन्तर राशि (रूपये में)
1	पटना	89704=00	2	रोहतास	355203=00
3	भोजपुर	6096=00	4	बक्सर	611=00
5	पूर्णियाँ	137542=00	6	अररिया	61379=00
7	सूपौल	232298=00	8	मधेपुरा	56292=00
9	शिवहर	-17165=00	10	पूर्वी चम्पारण	102741=00
11	वैशाली	-91960=00	12	नवादा	10006=00
13	लखीसराय	182.50=00	14	जमई	5575=00
15	बेगुसराय	359033=72	16	बांका	566=00
17	दरभंगा	216490=50	18	समस्तीपुर	15269=50
19	सिवान	189424=00	20	गोपालगंज	12214=00

(iii) **जिला द्वारा निकासी कर बैंक खाता में रखी गयी राशि की विवरणी**:– समीक्षा में यह बात प्रकाश में आया कि **निम्न** जिलों द्वारा निकासी कर बैंक खातें में रखी गयी राशि के संदर्भ में निदेश दिया गया कि निकासी की गयी उक्त राशि की समीक्षा करें कि किस–किस वित्तीय वर्ष में यह राशि निकासी की गयी एवं इसका भुगतान संबंधित को अबतक नहीं किये जाने के कारणों का मंतव्य सहित अनुपालन प्रतिवेदन पत्र प्राप्ति के साथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। चूकि यह मामला वित्तीय है।

क्र. सं.	जिला का नाम	बैंक पासबुक में संचित राशि (रूपये में)	क्र.सं.	जिला का नाम	बैंक पासबुक में संचित राशि (रूपये में)
1	पटना	2856210=00	2	रोहतास	587676=00
3	कैमूर	179701=00	4	भोजपुर	67598=00
5	बक्सर	51971=00	6	जहानाबाद	22404=00
7	पूर्णियाँ	1426935=00	8	अररिया	341527=00
9	कटिहार	585178=00	10	सहरसा	234060=00
11	सूपौल	47478=00	12	मधेपुरा	678336=00
13	मुजफ्फरपुर	280698=00	14	शेखपुरा	18781=00
15	शिवहर	42507=00	16	प0 चम्पारण	562305=00
17	पूर्वी चम्पारण	452891=00	18	गया	558000=00
19	वैशाली	136831=00	20	नवादा	11578=00

7.2.19

21	खगड़ियॉ	366007=00	22	भागलपुर	60226=80
23	बेगुसराय	3450740=72	24	बांका	865587=82
25	दरभंगा	4325781=50	26	समस्तीपुर	1210509=00
27	सिवान	385424=00	28	गोपालगंज	143624=00
29	मधुबनी	698216=00	30	सारण	2329341
31	जमुई	70604=00			

(घ)दिनांक 17–18 दिसम्बर 2018 को आयोजित राज्यस्तरीय बैठक में विभिन्न शीर्षो के अन्तर्गत आवंटित राशि के विरूद्व 31.03.2019 तक संभावित व्यय की समीक्षा कर बचत का प्रत्यार्पण दिनांक 15.01.19 तक करने का निदेश था, परंतु अधिकांश आहरण एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया गया है। निदेश है कि आवंटित राशि एवं व्यय की समीक्षा कर प्रत्यार्पण योग राशि एक पक्ष के अन्दर प्रत्यार्पित करना सुनिश्चित करें।

अनुपालन– सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक(सांख्यिकी)/सभी जिला सां०पदा०/लेखा शाखा

(ड़) राज्य योजना मद मे जीवनांक एवं कृषि सांख्यिकी से संबंधित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के संपादन हेतु कुल आवंटित 1246.52 लाख रूपयें के विरूद्व 124.62 लाख रूपयें के व्यय होने पर क्षोभ प्रकट किया गया। सभी आहरण एवं व्ययन पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि उक्त आवंटित राशि का शतप्रतिशत व्यय करना सुनिश्चित करें। निदेश दिया गया कि इस मामलें की गंभीरता को जीवनांक/कृषि प्रशाखा के प्रभारी पदाधिकारी इसकी जॉच करें एवं तत् संबंधी प्रतिवेदन समर्पित की जाय।

(iv)समीक्षा के क्रम मे पुर्णियॉ, सुपौल, औरंगाबाद, बांका, समस्तीपुर, सारण जिला से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र बी.टी.सी.–42ए. अप्राप्त पाया गया। निदेश दिया गया कि सभी अंतिम रूप से वांछित प्रतिवेदन 07.02.2019 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

अनुपालनः– सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी/लेखा शाखा/निदेशालय

(v) निदेशालय के पत्रांक 163/28.01.2019 द्वारा वित्त विभाग के निदेशानुसार सभी आहरण एवं व्ययन पदाधिकारियों को अपने कार्यालय का त्रैमासिक लेखा सत्यापन महालेखाकार कार्यालय से कराने का निदेश से अवगत कराते हुए अनुरोध किया गया कि उक्त पत्र के निदेशानुसार नियमित रूप से अपने कार्यालय के लेखा का सत्यापन कराते हुए सत्यापन प्रतिवेदन निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अनुपालनः– सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक (सांख्यिकी)/संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी/बजट शाखा

(vi) लंबित अंकेक्षण प्रतिवेदन की समीक्षा में स्पष्ट हुआ कि जिला सांख्यिकी कार्यालय वैशाली/औरंगाबाद एवं गया में अंकेक्षण प्रतिवेदन के कुछ कंडिकाओं अनुपालन नहीं हो पाया है। निदेश दिया गया कि यथाशीघ्र वैक्तिगत अभिरूची लेकर लंबित कंडिकाओं का अनुपालन करते हुए तत्संबंधी प्रतिवेदन निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

अनुपालनः– संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी/बजट शाखा।

(vii) विगत वर्षो में समर्पित डी.सी. विपत्रों की लेखा परीक्षा आपत्तियों का अनुपालन जिला सांख्यिकी कार्यालय, बक्सर, किशनगंज, शेखपुरा एवं मधेपुरा में लंबित रहने पर क्षोभ प्रकट किया गया एवं सभी संबंधित पदाधिकारी को ए.सी. विपत्रों का समायोजन कराने का निदेश दिया गया। अगर कोई लंबित/असमायोजित डी.सी. विपत्र उप निदेशक (सांख्यिकी)/जिला सांख्यिकी पदाधिकारी से संबंधित नहीं है तो इसका सत्यापन कोषागार से कराकर तत्संबंधी प्रतिवेदन निदेशालय को उपलब्ध करावें।

अनुपालनः– सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक (सांख्यिकी)/संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी/बजट शाखा

(viii) सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि बैंक खातों में आपके द्वारा चलान के माध्यम से भिन्न–भिन्न वित्तीय वर्षो में जमा की गयी राशि किन–किन मदों की है, का स्पष्ट सूचना मदवार उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

अनुपालनः– सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक (सांख्यिकी)/संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी/बजट शाखा

8. कृषिः–

(i) भूमि उपयोग विवरणीः– कृषि वर्ष 2017–18 के भूमि उपयोग विवरणी के समीक्षा में दो जिला यथा, पूर्वी चम्पारण एवं शेखपुरा से अप्राप्त पाया गया, इन जिलों को निदेश गया कि एक सप्ताह के अन्दर लंबित प्रतिवेदन निदेशालय को लभ्य कराना सुनिश्चित करेगें।

अनुपालनः– जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण एवं शेखपुरा

(ii) फसल सांख्यिकी सुधार योजनाः– फसल सांख्यिकी सुधार योजना के भदई 1.0 एवं 1.1 क्रमशः भागलपुर, पू0 चम्पारण एवं मधेपुरा से अप्राप्त। अगहनी 1.0 एवं 1.1 क्रमशः पूर्वी चम्पारण, मधेपुरा, बक्सर, अरवल, भागलपुर, बांका एवं मुंगेर से अप्राप्त है। निदेश दिया गया कि लंबित प्रतिवेदन दिनांक 07.02.19 तक निदेशालय को लभ्य कराना सुनिश्चित किया जाय।

अनुपालनः– संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

(iii) **(क)**.भदई सामान्य जिंसवारः– भदई सामान्य जिंसवार के समीक्षा में **पूर्वी चम्पारण एवं समस्तीपुर** से वर्ष 2018–19 का प्रतिवेदन लंबित।

(ख).अगहनी सामान्य जिंसवारः– अगहनी सामान्य जिंसवार **भोजपुर, रोहतास, भभुआ, नवादा, औरंगाबाद, भागलपुर, लखीसराय, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चम्पारण, सीतामढ़ी, शिवहर, सहरसा, पूर्णियॉ, सारण एवं अररिया** से प्राप्त शेष जिलों से अप्राप्त। निदेश दिया गया कि सभी वांछित प्रतिवेदन दिनांक 07.02.19 तक निदेशालय को लभ्य करायी जाय।

अनुपालनः– सभी संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी।

(iv) **(क)**. भदई मकई 2.0 क्रमशः नालंदा, सुपौल अररिया, मुंगेर एवं भागलपुर से अप्राप्त है। निदेश दिया गया कि वांछित प्रतिवेदन दिनांक 07.02.19 तक निदेशालय को उपलब्ध करायी जाय।

अनुपालनः– सभी संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी।

(ख).भदई धान 2.0 क्रमशः पूर्वी चम्पारण, प0 चम्पारण, सहरसा एवं मधेपुरा से अप्राप्त है। निदेश दिया गया कि वांछित प्रतिवेदन दिनांक 07.02.19 तक निदेशालय को उपलब्ध करायी जाय।

(i) राज्य में कृषि वर्ष 2018–19 में ''बिहार राज्य फसल सहायता योजना'' लागू है। खरीफ 2018–19 के लिए अगहनी धान एवं भदई मकई को इस योजना के तहत अधिसूचित किया गया है। फसल कटनी प्रयोग के आंकड़े को CCE APP के माध्यम से Upload किया जाना है। निदेश है कि सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी अपने–अपने जिलें का फसल कटनी प्रयोग के शत्प्रतिशत आंकड़ों को CCE APP पर Upload करना सुनिश्चित करें। भदई मकई का फसल कटनी प्रयोग के संपादित परिशिष्ट 2 एवं 3 के हॉर्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी (Excel Sheet में) निदेशालय को अविलंब लभ्य कराना सुनिश्चित किया जाय। समीक्षा के क्रम जिला सांख्यिकी पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि App ढीक से कार्य नहीं कर रहा है। इस संदर्भ में निदेश दिया कि NIC के प्रतिनिधि को बुलाकर App में उत्पन्न तकनीकी कठिनाईयों को दूर करायी जाय। साथ ही फसल कटनी प्रयोग के अनुसूचियों के समीक्षा के क्रम में भी जिला साख्यिकी पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि भौतिक रूप से शत्प्रतिशत कटनी संपादन करने पश्चात् भी लगभग 50 प्रतिशत ही आंकड़ें App से माध्यम से अपलोड हो पाया। इस संदर्भ में बताया गया कि जो भी डाटा है उसे अपलोड करने का प्रयास

किया जाय। साथ ही App के तकनीकी गड़बड़ी को अविलंब दूर करने हेतु वरीय संयुक्त निदेशक को निदेशित किया गया।

अनुपालनः— सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी/वरीय संयुक्त निदेशक

(ii)समीक्षा में उपस्थित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि फसल कटनी प्रयोग के आंकड़ें जो अपलोड कर ली गयी है उस संदर्भ में देय मानदेय का भुगतान नियमानुसार फरवरी 2019 तक सुनिश्चित कर ली जाय।

अनुपालनः— सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

(iii) भदई धान, मुंग, मरूआ, मेस्ता, एवं जूट के फसल कटनी की समीक्षा के क्रम में निदेश दिया गया कि सभी संपादित लंबित अनुसूचियॉ अविलंब निदेशालय को एक सप्ताह के अन्दर लभ्य कराना सुनिश्चित किया जाय। इसी क्रम में पूर्णियॉ जिला से आये प्रतिनिधि ने समीक्षा में बताया कि भदई मुंग एवं मेस्ता फसलों का आच्छादन जिला में नहीं होने के कारण फसल कटनी प्रयोग संपादित नहीं किया जा सका है। निदेश दिया गया कि वरीय संयुक्त निदेशक/उप निदेशक (कृषि) आच्छादन नहीं होने के मामले की सूक्ष्मता से जॉच कर ली जाय। यदि विसंगति पायी जाती है तो संबंधित कर्मी को चिन्हित करते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

अनुपालनः— सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी/वरीय संयुक्त निदेशक/ उप निदेशक (कृषि)

(iv) समीक्षा में समस्तीपुर जिला से भदई मकई के 371 पंचायतों में से मात्र 53 पंचायत का प्रतिवेदन प्राप्त है एवं शेष 318 प्रतिवेदन लंबित पाया गया। इस पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए निदेश दिया गया कि सभी लंबित प्रतिवेदन दिनांक 07.02.19 तक उपलब्ध करायी जाय।

अनुपालनः— जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, समस्तीपुर

(v)**फल सब्जीः—** फल—सब्जी कटनी प्रयोग में सभी लंबित प्रतिवेदनों यथा अगहनी आलू, बैगन, टमाटर का एक सप्ताह के अन्दर निदेशालय को लभ्य कराना सुनिश्चित करेगें।

अनुपालनः— सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

9. <u>वर्षापातः</u>—

(i) वर्षा के आंकड़ों को Web-Portal पर प्रत्येक दिन 10 बजे पूर्वा0 तक लोड करने का निदेश पूर्व में दिया गया। प्रत्येक दिन के वर्षापात का आंकड़ों से निदेशक महोदय को अवगत कराये जाने का निदेश दिया गया।

(ii) वर्षापात का Online Reporting वर्त्तमान में जिला पटना, औरंगाबाद, प0 चम्पारण, समस्तीपुर, किशनगंज, सुपौल एवं बांका द्वारा नहीं किया जा रहा है। निदेश दिया गया कि संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी प्रत्येक दिन का Online वर्षापात प्रतिवेदन अपलोड करना सुनिश्चित करेगें।

अनुपालनः— सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

(iii)जिलों में अधिष्ठापित AWS का मासिक स्थलीय भौतिक जॉच प्रतिवेदन प्रत्येक अनुवर्ती माह के 8वीं तारिख तक निदेशालय को लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

(iv)वर्षामापक यंत्र के अधिष्ठापन एवं रखरखाव तथा मानवबल हेतु आवंटित किये गये राशि का नियमानुकूल व्यय करते हुए उपयोगिता प्रमाण—पत्र निदेशालय को लभ्य कराने हेतु निदेश दिया गया। साथ ही अव्यवहृत राशि को शीघ्रताशीघ्र प्रत्यार्पित करने का भी निदेश दिया गया।

अनुपालनः— सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी/निदेशालय

(v)जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, रोहतास (सासाराम) के समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि वर्षापात रिडिंग लेने वाले कर्मियों के पारिश्रमिक हेतु माह—मार्च 2018 से फरवरी—2019 तक आवंटित राशि की शतप्रतिशत निकासी की माह—नवम्बर 2018 में कैसे कर ली गयी ? इस

आशय का स्पष्टीकरण भी वरीय संयुक्त निदेशक द्वारा पूछा गया। रोहतास जिला सांख्यिकी पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि स्पष्टीकरण समर्पित कर दिया गया है। चुकी वित्तीय मामला है तुरंत संचिका उपस्थापित करने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः– वरीय संयुक्त निदेशक / वर्षापात प्रशाखा

10. <u>रान्यासः–</u>

(i) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 76वें सत्र के सभी उपसत्रों की भरी हुई अनुसूचियॉ निदेशालय को प्राप्त हो चूकी है। इसके लिए सभी संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी / अन्वेषक को धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

अनुपालनः– रान्यास से संबंधित सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी / अन्वेषक

(ii) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 77वें सत्र का राज्यस्तरीय प्रशिक्षण का कार्य पूर्ण किया जा चूका है। सभी संबंधित निरीक्षणालयों के अन्वेषकों द्वारा सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। साथ ही निदेश दिया गया कि प्रत्येक माह के अनुवर्ती माह के 8वीं तारीख तक सर्वेक्षित भरी हुई अनुसूचियॉ अचूक रूप से निदेशालय को लभ्य करायी जाय।

अनुपालनः– रान्यास से संबंधित सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

(iii) प्रत्येक पदाधिकारी को निर्धारित संख्या में निरीक्षण करने एवं निरीक्षण प्रतिवेदन ससमय निदेशालय को लभ्य कराने हेतु निदेश दिये गये।

अनुपालनः–सभी प्रमंडलीय उप निदेशक / सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी / निदेशालय

11. <u>लघु सिंचाई गणनाः–</u>

(i) पंचम एवं छठी लघु सिंचाई गणना हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में आवंटित राशि का कोषागार से निकासी कर व्यय की गयी राशि का CTMIS से मिलान कर उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं CTMIS की छाया प्रति के साथ 7 फरवरी 2019 तक अंतिम रूप से भेजने का निदेश दिया गया है।

अनुपालनः– सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

(ii) छठी लघु सिंचाई गणना संदर्भ वर्ष 2017–18 के चार्ज रजिस्टर बांका, मुजफ्फरपुर, सारण, वैशाली एवं पटना के शहरी क्षेत्र का अप्राप्त है। दिनांक 07.02.19 तक संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी चार्ज रजिस्टर अचूक रूप से निदेशालय को लभ्य कराना सुनिश्चित किया जाय।

अनुपालनः– संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

(iii) पंचम लघु सिंचाई गणना में प्राप्त आवंटन के विरूद्ध मदवार निकासी की गयी राशि एवं योजनाओं की ब्योरा (विहित प्रपत्र) सहित लंबित भुगतान हेतु राशि की मांग (अधियाचना) औचित्य के साथ दिनांक 07.02..2019 तक निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चि करेगें अन्यथा यह समझा जायेगा कि उक्त जिलों को राशि की आवश्यकता नहीं है। साथ ही जिन जिलों द्वारा राशि की मांग नियमानुसार की गयी है को राशि आवंटित कर दी जायेगी।

अनुपालनः सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

(iv) **प्रचार–प्रसारः–** सभी जिलों को छठी लघु सिंचाई गणना के प्रचार–प्रसार हेतु प्रति प्रखण्ड एवं वार्ड को @ 500 रू0 के दर से आवंटन किया गया है। आवंटित राशि से किये गये प्रचार–प्रसार का पम्पलेट, माईकिंग का साक्ष्य सहित अभिश्रव की छाया प्रति दिनांक 07.02.19 तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

(v) भारत सरकार द्वारा जल निकाय गणना हेतु प्राप्त लिंक प्रेषित की जा रही है जिसे सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी अपने मोबाईल में App Install कर लेगें।

(vi) जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, रोहतास द्वारा छठी लघु सिंचाई और जल निकाय गणना के अनुमण्डल स्तरीय प्रशिक्षण में प्रशिक्षकों को दिये जाने वाले मानदेय की राशि में दिशा–निर्देश के विरूद्ध वित्तीय अनियमितता के प्रमाण प्राप्त हुए है। जिस पर निदेशित किया गया कि इनका वेतन अगले आदेश तक स्थगित करते हुए संबंधित विषयों पर स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाय।

अनुपालनः लघु सिंचाई गणना प्रशाखा / स्थापना प्रशाखा

(vii)जिलों द्वारा प्राप्त छठी लघु सिंचाई /जल निकाय गणना हेतु जिलों से प्राप्त मास्टर डाटा भारत सरकार को भेजी गयी थी। भारत सरकार द्वारा मास्टर डाटा पोर्टल पर अपलोड करने के उपरांत सभी जिलों को पुनः जॉच हेतु निदेश दिया गया था। जिसमें से जॉचोपरांत मास्टर डाटा भोजपुर जिला के द्वारा भेजा गया जो पूर्व के प्रेषित मास्टर डाटा से काफी भिन्न था। सभी जिलों को निदेशित किया गया कि दिनांक 07.02.19 तक भारत सरकार के पोर्टल से मास्टर डाटा का शुद्वता से मिलान कर भेजना सुनिश्चित करेगें।

अनुपालनः सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

12. जीवनांकः

(i) **जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संबंधित मासिक प्रतिवेदनः–** सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि प्रत्येक माह की 8वीं तारीख तक मासिक प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में लभ्य कराना सुनिश्चित करे।

अनुपालनः सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

(ii) **प्रतिवेदन प्रेषण स्तरः–** सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि जिला अन्तर्गत सभी जन्म–मृत्यु निबंधन इकाईयों से प्रतिवेदन प्राप्त कर समेकित प्रतिवेदन लभ्य कराना सुनिश्चित करें।

अनुपालनः– सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

(iii) **जन्म रजिस्ट्रीकरण उपलब्धिः–** कैडेन्डर वर्ष 2019 में जन्म एवं मृत्यु की घटनाओं के रजिस्ट्रीरण हेतु वार्षिक लक्ष्य का निर्धारण कर सभी जिलों को प्रेषित किया जा चूका है। प्रेषित वार्षिक लक्ष्य के अनुरूप जिला द्वारा जिला अन्तर्गत के प्रखंड/नगर परिषद/नगर पंचायत एवं नगर निगम के वार्षिक लक्ष्य निर्धारण के संसूचन की सूचना यथा जिला पटना, नालंदा, बक्सर, जहानाबाद, सारण, पूर्वी चम्पारण, वैशाली, दरभंगा, मुंगेर, शेखपुरा, जमुई, बेगुसराय, भागलपुर, बांका, मधेपुरा, अररिया एवं कटिहार से अप्राप्त है। निदेशित किया गया कि यथाशीघ्र संबंधित जिला लक्ष्य का निर्धारण करते हुए इस आश्य की सूचना निदेशालय को उपलब्ध करायी जाय।

अनुपालनः– सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

(iv) कैडेन्डर वर्ष 2018 में वार्षिक लक्ष्य के विरूद्व जन्म रजिस्ट्रीकरण की उपलब्धि 78.02 प्रतिशत प्राप्त किया गया। जन्म रजिस्ट्रीकरण में जिला पूर्णियॉ, शेखपुरा, किशनगंज एवं भागलपुर द्वारा 100 प्रतिशत निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किया गया उनके सराहनीय योगदान हेतु संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। जिला जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, बक्सर, अरवल, औरंगाबाद, रोहतास, मधुबनी, सारण एवं बांका की यह उपलब्धि बार्षिक लक्ष्य के विरूद्व 49 से 70 प्रतिशत के बीच रहा। इनके उपलब्धि पर असंतोष व्यक्त किया गया कि उनके शत प्रतिशत उपलब्धि नहीं प्राप्त करने पर राज्य का औसत प्राप्ति वर्ष 2018 में 78.02 प्रतिशत ही रहा। जिला पूर्णियॉ, शेखपुरा, किशनगंज जिलों द्वारा शत प्रतिशत उपलब्धि प्राप्ति के कारणों का राज्य स्तरीय बैठक में व्यापक चर्चा की गयी एवं उनके अनुभवों को शेष जिलों से साझा किया गया ताकि वर्ष 2019 में निर्धारित लक्ष्य के विरूद्व उपलब्धि शत प्रतिशत प्राप्त की जा सके।

अनुपालनः– सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

(v)निदेशालय द्वारा लभ्य कराये गये रोस्टर के अनुरूप रजिस्ट्रीकरण इकाईयों में "विशेष निरीक्षण अभियान" संचालित करने हेतु निदेशित किया गया ताकि किसी भी स्तर से जन्म एवं मृत्यु की घटनाओं एवं उनके रजिस्ट्रीकरण में अन्तर की स्थिति उत्पन्न न हो सके।

अनुपालनः–सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

(vi) वर्ष 2018 का जीवनांक कार्य से संबंधित धारा 4 (4) का वार्षिक प्रतिवेदन रोहतास/अरवल एवं नवादा जिलो से प्राप्त शेष जिलों को निदेशित किया गया कि धारा 4 (4) से संबंधित वार्षिक प्रतिवेदन माह फरवरी 19 तक लभ्य करायी जाय ताकि संकलित प्रतिवेदन ससमय भारत सरकार को भेजा जा सके।

अनुपालनः–सभी संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

(vii)**नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्सः–** नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स असम से प्राप्त जीवनांक अभिलेखों का सत्यापन प्रतिवेदन अभी भी जिला यथा सारण में 03, मुजफ्फरपुर में 11

वैशाली में 3 समस्तीपुर में 11, कटिहार में 7, प0 चम्पारण में 6 (कुल 41) लम्बित है। संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को NRC से संबंधित जीवनांक अभिलेखों को सत्यापित कर प्रतिवेदन एक पक्ष के अन्दर निदेशालय को लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः—संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

(viii)<u>MCCD **त्रैमासिक प्रतिवेदनः—**</u> वर्ष 2018 में यह प्रतिवेदन 5 जिलों के छः मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पीटल के साथ—साथ 36 जिलों के सदर अस्पताल से प्राप्त किया जाना है। संबंधित प्रतिवेदन अभी भी कई जिलों से अप्राप्त है संबंधित जिलों को सभी त्रैमासिक प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर प्रतिवेदन लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः— सभी संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी।

(ix)<u>MCCD **प्रशिक्षण उपयोगिता प्रमाण—पत्रः—**</u> MCCD प्रशिक्षण से संबंधित उपयोगिता प्रमाण—पत्र वर्ष 2014—15 का सहरसा से लम्बित है। जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, सहरसा को एक सप्ताह के अन्दर उपयोगिता प्रमाण पत्र लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः— जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, सहरसा।

(x)<u>**मासिक अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम संबंधित प्रतिवेदनः—**</u> जिला सांख्यिकी पदाधिकारी एवं सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी का मासिक अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम ससमय लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः—सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

(xi)<u>**वित्तीय वर्ष 2018—19 में राज्य योजना मद (जीवनांक से संबंधित)**</u> **आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्रः—** वित्तीय वर्ष 2018—19 में जीवनांक सांख्यिकी कार्यो हेतु राज्य योजना मद में दी गयी राशि का व्यय संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र सभी जिलों से लंबित है। सभी जिलों को आवंटित राशि शत्प्रतिशत व्यय कर उपयोगिता प्रमाण पत्र शीघ्र लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः—सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी।

13. <u>साधन सांख्यिकी एवं आवास सांख्यिकी</u> :—

(i) साधन सांख्यिकी का प्रतिवेदन सभी स्थानीय निकायों (शहरी एवं ग्रामीण) वित्तीय वर्ष 2016—17 एवं 2017—18 का **लेखा विवरणी (आय एवं व्यय)** विहित प्रपत्र में सभी जिलों से अप्राप्त है। सभी जिलों को पूर्ण प्रतिवेदन लभ्य कराने हेतु निदेश दिया गया।

अनुपालनः—सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी।

(ii) आवास एवं भवन निर्माण से संबंधित लंबित त्रैमासिक प्रतिवेदन ऑन—लाईन भारत सरकार को लभ्य कराने हेतु जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, भोजपुर, मुंगेर, नालंदा, दरभंगा, पूर्णियॉं, मुजफ्फरपुर, बेगुसराय, पटना एवं कटिहार को भेजने हेतु निदेश दिया गया।

अनुपालनः संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी।

(iii)राजीव आवास योजना (क्षमता निर्माण) के तहत वित्तीय वर्ष 2017—18 में आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र अभिश्रव के साथ संबंधित जिलों से मांग की गयी थी। जिला भागलपुर, नालंदा, मुंगेर एवं सारण से अभी तक अप्राप्त है। इस सदर्भ में निदेशालय द्वारा बार—बार स्मारित भी किया गया है। आपसे संबंधित अनुपालन अप्राप्त रहने की दशा मे योजना का कार्य योजना निदेशालय स्तर से तैयार करने में कठिनाई महसूस की जा रही है। निदेश दिया गया कि संबंधित वांछित प्रतिवेदन दिनांक 15.02.19 तक निदेशालय को अचूक रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

अनुपालनः संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी।

14. <u>औद्योगिक मूल्य सूचकांक प्रतिवेदन</u> :—

औद्यौगिक मूल्य सूचकांक का मासिक प्रतिवेदन सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को निदेशालय को समय पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने हेतु निदेशित किया गया।

अनुपालनः सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी।

15. **कृषि पदार्थों का साप्ताहिक थोक एवं खुदरा मूल्य प्रतिवेदन :–**
कृषि पदार्थों का साप्ताहिक थोक एवं खुदरा मूल्य का साप्ताहिक प्रतिवेदन निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी ई–मेल पर भेजते हुए प्रेषित प्रतिवेदन की हार्ड कॉपी निदेशालय को उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

अनुपालनः सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी।

16. **नमक मूल्य का मासिक प्रतिवेदन :–**
नमक मूल्य का मासिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह का अनुवर्ती माह के 8वीं तारीख तक निदेशालय को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी।

17. **बिजनेस रजिस्टर से संबंधित प्रतिवेदन :–**
राज्य में विभिन्न निबंधन धाराओं के तहत निबंधित बिजनेस प्रतिष्ठानों के लिए तैयार लिस्ट फ्रेम के आधार पर इनका क्षेत्रीय सर्वेक्षण कराकर आपको उपलब्ध करायी गयी विहित प्रपत्र में निबंधन प्राधिकार बाद एवं जिलावार बिजनेस रजिस्टर तैयार करने के निमित कार्य योजना एवं इसके कार्यान्वयन पर आगत–व्यय के प्राक्कलन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। साथ ही इस आशय से संबंधित एक दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण दिनांक 06.02.19 को अनुग्रह नारायण संथान में कृषि से संबंधित प्रस्तावित प्रशिक्षण में एक सत्र बिजनेस रजिस्टर तैयार करने पर रखी गयी है साथ ही निदेश दिया गया कि वांछित प्रतिवेदन तैयार करने से संबंधित सभी विभागों को इस प्रशिक्षण में विशेष आमंत्रण करने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी / राज्य आय प्रशाखा।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त की गयी।

7.2.19

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–DES(योजना शाखा) 01 / 2019 / 149 / पटना, दिनांकः– 07.02.19

प्रतिलिपिः–
1. सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
2. निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ एवं अवलोकनार्थ।
3. सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।
4. वरीय संयुक्त निदेशक / संयुक्त निदेशक(प्रशासन) / सभी उप निदेशक / सभी सहायक निदेशक / प्रशाखा पदाधिकारी(स्थापना)–1 एवं 2 / सभी प्रशाखा के सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी / प्रभारी निदेशक कोषांग, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सांख्यिकी) / सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि कार्यवाही में उल्लेखित कंडिकाओं का अनुपालन निर्धारित अवधि के अन्दर सुनिश्चित कराते हुए अधोहस्ताक्षरी को अनुपालन प्रतिवेदन अविलंब प्रेषित की जाय।

7.2.19

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

ज्ञापांकः–DES(योजना शाखा) 01 / 2019 / 149 / पटना, दिनांकः– 07.02.19

प्रतिलिपिः– श्री अनिल चन्द्र प्रकाश, सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, कम्प्यूटर कोषांगा, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को ई–मेल द्वारा प्रेषित करने एवं श्री सुदामा कुमार, आई.टी. मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

प्रथम पाली

दिनांक 31.01.2019 (गुरूवार) को निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय की अध्यक्षता में आहूत क्षेत्रीय पदाधिकारियों की राज्य स्तरीय समीक्षात्मक मासिक बैठक में भाग लेने वाले पदाधिकारियों की उपस्थिति :—

क्र.	पदाधिकारी का नाम	पदनाम	मोबाईल सं०	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5
1	श्री धीरेन्द्र नारायण मिश्रा उमाशंकर कुमार	प्रमण्डलीय उप निदेशक, पटना नि० वा० लि०	9431808832 9835231400	[signature] 31/01/19
2	मो० सलीम अंसारी	प्र० प्रमण्डलीय उप निदेशक, गया	7903586833	Ansari 31/1/19
3	श्री विनय कुमार	प्रमण्डलीय उप निदेशक, मुंगेर	9430061941	
4	श्री विनय कुमार	प्रमण्डलीय उप निदेशक, भागलपुर	9430061941	
5		जि० सां० पदाधिकारी, पटना		
6	श्रीमती रश्मि संजय कुमार सिन्हा	जि० सां० पदाधिकारी, नालन्दा प्रभारी DSO Nalanda	9693445388 9905016225	[signature]
7	श्री गणेश राम	जि० सां० पदाधिकारी, रोहतास	9430532014	[signature] 31/1/19
8	श्री विनोद आनन्द सुनील कु. सिंह	प्र०जि० सां० पदाधिकारी, कैमूर सहा० सां० पदा०	8789063818	[signature] 31-01-2019
9	श्रीमती शशि प्रभा	जि० सां० पदाधिकारी, भोजपुर	9471072695	[signature] 31.01.19
10	सुश्री सरिता कुमारी	जि० सां० पदाधिकारी, बक्सर	7677051461	[signature] 31/01/19
11	मो० सलीम अंसारी	जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, गया	7903586833	Ansari 31/1/19.
12	श्री प्रियदर्शी अमरेश	जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, जहानाबाद	9430936691	[signature] 31/1/2019
13	श्री अशोक कुमार चौधरी	जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, नवादा	9430557796	[signature] 31/01/2019
14	श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह	जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, अरवल	8002860870	[signature] 31/01/2019
15	श्री अजीत कुमार	जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, औरंगाबाद	9472455675	[signature] 31/1/19.
16	श्री प्रेम कुमार	प्र० जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, मुंगेर	7563018613	[signature] 31/1/19

क्र.	पदाधिकारी का नाम	पदनाम	मोबाईल सं०	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5
17	श्री अजय कुमार	जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, लखीसराय	9431451783	31.01.19
18	श्री राकेश कुमार	जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, शेखपुरा	7992425869	31.1.2019
19	श्री भीम शर्मा	जिला सांख्यिकी पदाधिकारी,जमुई	7979894934	31/01/19
20	श्री विरेन्द्र कुमार	जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, खगड़िया	7488142882	31.01.19
21	मो० नौशाद खाँ	प्र० जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, बेगुसराय	8084067266	
22	श्री शम्भू राय	प्र० जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, भागलपुर	8507689546 7985253955	[signature]
23	श्री चन्द्रदेव महतो	जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, बांका	8987195775	31/01/2019

द्वितीय पाली

दिनांक 31.01.2019 (गुरूवार) को निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय की अध्यक्षता में आहूत क्षेत्रीय पदाधिकारियों की राज्य स्तरीय समीक्षात्मक मासिक बैठक में भाग लेने वाले पदाधिकारियों की उपस्थिति

क्र.	पदाधिकारी का नाम	पदनाम	मोबाईल सं०	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5
1	श्री संजय कुमार	प्रमण्डलीय उप निदेशक, पूर्णियॉ	9334322062	
2	डॉ सत्य प्रकाश पासवान	प्रमण्डलीय उप निदेशक, कोशी	9955238574	[signature] 31/1/19
3	श्री मनोज कुमार झा(RPO) मुकेश कुमार कर्ण J.S.A	प्रमण्डलीय उप निदेशक, दरभंगा	9470489766 8521380502	[signature] 31/01/19
4	श्री श्याम किशोर	प्र० प्रमण्डलीय उप निदेशक, तिरहुत	9431637610	for [signature] 31.1.19
5	अभय कुमार सिन्हा (प्रभार में)	प्रमण्डलीय उप निदेशक, सारण	9123129414	for [signature] 31.01.19
6	श्री शशि भूषण राजन कुमार विद्यार्थी JSA	जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, पूर्णियॉ	9470416672	for [signature] 31-01-19
7	श्री ~~कृष्ण~~ किशोर कुमार	प्र० जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, अररिया	8298771525	[signature] 31/01/2019
8	श्री सुरेन्द्र मोची श्री मृणाल सेन J.S.A	प्र० जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, किशनगंज	8292621968 7561936733	[signature] 31/1/19
9	श्री पारसनाथ चौधरी	जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, कटिहार	9334065754	[signature] 31/01/19
10	श्री भुवनेश्वर प्रसाद रामलखन कामत	प्र० जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, सहरसा [illegible]	9931414191 9470869868	[signature] 31.01.19
11	श्री मोती कुमार दिनकर	प्र० जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, सुपौल	9431069466	[signature] 31.1.19
12	श्री उपेन्द्र कुमार	जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, मधेपुरा	9934363940	[signature] 31/1/19.
13	श्रीमती संध्या सुरभि	जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, दरभंगा	7277322478	[signature] 31.01.19
14	श्री सोमेश्वर प्रसाद	जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, मधुबनी	9771773701	[signature] 31.01.2019
15	श्री सुनील कुमार सिन्हा	प्र० जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, समस्तीपुर	6201831288	

क्र.	पदाधिकारी का नाम	पदनाम	मोबाईल सं०	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5
16	श्री अरविन्द्र कुमार सिंह	जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर	9470033534	31-1-19
17	श्री शशिकान्त प्रकाश	प्र० जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, सीतामढ़ी	9431696962	31/01/19
18	श्री सुभाष राम	प्र० जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, शिवहर	9262700383	31/01/2019
19	श्री शंभू प्रसाद यादव	जिला सां० पदाधिकारी, पू०चम्पारण(मोतिहारी)	9771347688	31.1.19
20	श्री मिथिलेश कुमार	जिला सां० पदाधिकारी, प०चम्पारण(बेतिया)	8002841265	
21	श्री सेजय कुमार सिंह	जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, वैशाली(हाजीपुर)	6204711299	31.01.19
22	श्री आनन्द प्रकाश	जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, सारण(छपरा)	9709323400	31.01.19
23	श्री रवि रंजन राकेश	जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, सीवान	7209035089	31.01.19
24	श्री सत्येन्द्र कुमार चौधरी	जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, गोपालगंज	9955649719	31/1/2019